'प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 10 दिसम्बर को आयोजित होगा

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सम्मेलन की कार्ययोजना तैयार करने के लिए बैठक ली

जयपुर, 16 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थानियों ने अपने सामर्थ्य की बदौलत विश्वभर में प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने अपनी कर्मभूमि पर काम करते हुए मातृभूमि पर सामाजिक सरोकारों के कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के योगदान के सम्मान में राज्य सरकार आगामी 10 दिसम्बर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है।

शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन-2025 की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों की सहूलियत और उनके मुद्दों के लिए राज्य सरकार एक नए विभाग का गठन करने जा रही है। साथ ही, सभी जिलों में अतिरिक्त जिला कलक्टर को प्रवासी राजस्थानियों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए नोडल अधिकारी बनाने के संबंध में आदेश एवं गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है।

शर्मा ने कहा कि "आपणो अग्रणी राजस्थान" के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में, प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग लिया जाए। अधिकारी, प्रवासी राजस्थानियों से नियमित संपर्क करें और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन-2025 की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित किया। उन्होंने 10 दिसम्बर को होने वाले इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजस्थान फाउन्डेशन के 14 नये चैप्टर्स की कार्यकारिणी का गठन कर सक्रिय लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि फाउन्डेशन अपने विभिन्न चैप्टर्स की बैठक आयोजित कर नियमित संवाद करे।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स के मनोनीत अध्यक्ष कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर सक्रिय लोगों को जोड़ें। फाउंडेशन अपने विभिन्न चैप्टर्स की बैठक आयोजित कर निरंतर संवाद भी करे। बैठक में संबंधित विभागों के उच्च अधिकारीगण उपस्थित थे।

हाँगकाँग से दिल्ली आ रहे ड्रीम लाइनर विमान में तकनीकी खराबी

नयी दिल्ली, 16 जून। अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया विमान हादसे के चार दिन बाद हांगकांग से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक और बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में उड़ान भरने के चंद मिनट बाद तकनीकी समस्या का पता लगने पर उसे वापस हांगकांग लौटना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार हांगकांग से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआई315 बीती रात 11 बज कर 59 मिनट पर हांगकांग से रवाना हुई थी। रिकार्ड के अनुसार यह उड़ान तीन घंटे नौ मिनट के विलंब से रवाना हुई थी। उड़ान भरने के बाद पायलट को हवा में ही तकनीकी समस्या का संदेह हुआ। इस पर पायलट ने विमान को समुद्र के ऊपर कुछ देर उड़ाया और जब दिक्कत दूर नहीं हुई तो वापस लौटने का फैसला किया।

- **लगभग एक घंटे की उड़ान के बाद एयर इंडिया के इस विमान को पुन हाँगकाँग लौटाया गया, जहां उसकी जांच की जा रही है।**

इसके बाद विमान करीब एक घंटे 19 मिनट बाद अपने मूल स्थान यानी हांगकांग हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। विमान स्थानीय समयानुसार एक बज कर 18 मिनट पर हांगकांग हवाई अड्डे पर उतरा। जहां उसकी गहन तकनीकी जांच की जा रही है।

जज की पोस्ट के लिए तीन साल लॉ प्रैक्टिस की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका दर्ज

याचिका दायरकर्ता ने इस अनिवार्यता को अनुच्छेद 14 व 16 के तहत मूल अधिकारों का हनन बताया

नयी दिल्ली, 16 जून। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की गई है।

न्यायिक सेवा के इच्छुक याचिकाकर्ता अधिवक्ता चंद्रसेन यादव शीर्ष अदालत के 20 मई, 2025 के उस फैसले की समीक्षा की मांग की है, जिसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए परीक्षा में बैठने के वास्ते बार में कम से कम तीन साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की गई है।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में देश के सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में न्यायिक सेवाओं में शामिल होने इच्छुक अभ्यार्थियों को अब अधिवक्ता के रूप में तीन साल का अनुभव अनिवार्य करने का प्रावधान करने को कहा था।

समीक्षा याचिका में यादव ने तर्क दिया कि बार में तीन साल की प्रैक्टिस अनिवार्य करने की मनमानी और अनुचित शर्त लगाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

उन्होंने दलील दी कि न्यायाधीश पद पर नियुक्ति आवेदक के लिए नए प्रावधान के कारण उनके समान अवसर और सार्वजनिक रोजगार तक उचित पहुंच के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

- **अधिवक्ता चंद्रसेन यादव ने याचिका दायर की और यह भी कहा कि तीन साल की अनिवार्यता महिलाओं, पहली पीढ़ी के वकीलों व आर्थिक रुप से कमजोर अभ्यर्थियों को हतोत्साहित कर सकती है।**

अधिवक्ता कुनाल यादव के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि तीन साल की अनिवार्य वकालत के नियम अभी नहीं, बल्कि उसे वर्ष 2027 से ही लागू किया जाना चाहिए। इससे हाल ही में विधि स्नातक हुए (2023-2025) विद्यार्थी अनुचित तौर पर प्रभावित नहीं होंगे, जिन्होंने पिछले पात्रता मानदंडों के अनुसार तैयारी की थी।

शीर्ष अदालत के फैसले पर याचिका में कहा गया,ऐसे नए विधि स्नातकों की संख्या या सफलता दर पर कोई विचार नहीं किया गया, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से न्यायिक सेवाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद न्यायपालिका में प्रभावी ढंग से काम किया है। ऐसे तथ्य के अभाव में, यह निर्णय (शीर्ष अदालत का) संवैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन करता है।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि तीन साल की आवश्यकता महिलाओं, पहली पीढ़ी के वकीलों और आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को हतोत्साहित कर सकती है, जिनके पास स्थिर न्यायिक पद हासिल करने से पहले अनिश्चित वकालत (कानूनी अभ्यास) को बनाए रखने के साधन नहीं हो सकते हैं।

याचिका में कहा गया,न्यायालय को शेट्टी आयोग की सिफारिशों की उचित रूप से सराहना करनी चाहिए थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि युवा और मेधावी विधि स्नातकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है, तो न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए बार में तीन साल के अभ्यास को पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि इस निर्णय ने विधि स्नातकों के एक पूरे वर्ग को पूरी तरह से अयोग्य घोषित कर दिया जबकि यह प्रमाणित नहीं किया गया कि तीन साल के अभ्यास के बिना प्रत्येक विधि स्नातक को न्यायिक सेवा में प्रवेश के आवेदन के लिए अयोग्य माना जाए।

प्र.मंत्री मोदी आज कैनडा पहुंचेंगे

निकोसिया, 16 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साइप्रस की यात्रा पूरी करके आज शाम कैनडा के कैलगिरी के लिए रवाना हो गये। मोदी ने लार्नाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के पहले एक्स पर साइप्रस के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साइप्रस की यादगार यात्रा पूरी की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स और साइप्रस के लोगों को उनकी असाधारण गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कैनडा जा रहे हैं।

- **प्र.मंत्री कैलगिरी में आयोजित हो रही जी-7 शिखर वार्ता में शिरकत करेंगे।**

करोना संक्रमण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

छत्तीसगढ़ , दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक-एक मरीज की मौत हो गयी है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में जहां ज्यादा सक्रिय मामले सामने आये हैं वहीं राष्ट्रीय राजधानी, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में सक्रिय मामलों में कमी आयी है। गत 22 मई को देश में कोराना के सिर्फ़ 257 एक्टिव थे जो आज बढ़ कर 7264 तक पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 13604 मरीज करोना के संक्रमण से ठीक हो गये हैं। पिछले 24 घंटों में करोना संक्रमण के सबसे अधिक सक्रिय मामले उत्तर प्रदेश से 37, राजस्थान से 30 और कर्नाटक से 18 मामले सामने आये हैं और दिल्ली में 33, केरल में 87 और महाराष्ट्र में 38 मामले कम हुए हैं।

हर माह औसतन 17 बाघों की मौत हो रही है

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के डेटा के अनुसार, गत साढ़े 5 महीनों में 91 बाघ मारे गए हैं

नई दिल्ली, 16 जून।भारत में इस साल अवैध शिकार, क्षेत्रीय विवाद, मानव-वन्यजीव संघर्ष, ट्रेन दुर्घटनाओं और प्राकृतिक कारणों से अब तक 91 शाही बाघों की मौत हो चुकी है। यह एक खतरनाक आंकड़ा है जिसके मुताबिक देश में हर महीने औसतन लगभग 17 बाघों की मौत हो रही है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के आंकड़ों के अनुसार पिछले साढ़े पांच महीनों में अवैध शिकार, क्षेत्रीय विवाद, मानव-वन्यजीव संघर्ष, ट्रेन दुर्घटनाओं और प्राकृतिक कारणों से 91 बाघ मारे गए हैं। यह खतरनाक आंकड़ा बताता है कि हर महीने देश में औसतन 17 बाघ मौत के मुंह में समा रहे हैं।

अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो इस साल बाघों की मौत के कुल मामलों की संख्या पिछले साल के 126 के आंकड़े को पार कर सकती है।

- **प्राधिकरण के अनुसार बाघों की मौत के लिए अवैध शिकार, क्षेत्राधिकार की लड़ाई, मानव-वन्यजीव संघर्ष, ट्रेन हादसे तथा प्राकृतिक कारण जिम्मेवार हैं।**

गौरतलब है कि 2019 से 2023 तक की पांच साल की अवधि में समूचे भारत में कुल 628 बाघ मारे गए हैं।

इस बीच 2025 के पहले पांच महीनों में बाघो की मौत से जुड़े आंकड़े हर राज्य में असमान ही है जिसमें आधे से अधिक यानी 49 मौतें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुई हैं जहाँ ट्रेन दुर्घटनाएँ और संक्रामक रोग भी इनकी मौत के जिम्मेदार पाये गये हैं1

अकेले महाराष्ट्र में ही 26 बाघों की मौत की सूचना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 24 बाघों की मौत हुई। अन्य प्रभावित राज्यों में केरल (नौ), असम (आठ), उत्तराखंड (सात), कर्नाटक और उत्तर प्रदेश (चार-चार) और तेलंगाना (एक) शामिल हैं।

आंकड़ो से जानकारी मिली है कि 42 बाघ अपने अपने संरक्षित स्थानों के अंदर ही मृत पाए गए जो प्राकृतिक कारणों या क्षेत्रीय लड़ाई के कारण हो सकते हैं। वहीं 35 बाघ इन संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मरे पाए गए।

इस क्षेत्र में काम कर रहे एक गैर सरकारी संगठन 'भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी' (डब्ल्यूपीएसआई) से उपलब्ध डेटा अधिक चिंताजनक है। यह दर्शाता है कि 2025 में बाघों की मौतों में वृद्धि हुई है जिसमें अब तक 120 मौतें दर्ज की गई हैं।

भाजपा ने बांग्लादेश उच्चायोग पर प्रदर्शन किया

नयी दिल्ली, 16 जून। नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर के बंगलादेश स्थित पैतृक मकान में तोड़फोड़ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं ने यहां सोमवार को प्रदर्शन किया।

गौरतलब है कि बंगलादेश के सिराजगंज जिले में स्थित टैगोर का घर अब एक संग्रहालय है। रविवार को एक विवाद के बाद भीड़ ने वहां तोड़-फोड़ की थी।

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां स्थित बंगलादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया।

भाजपा कार्यकर्ता तीन मूर्ति चौक स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय पर एकत्र हुए और दो पुलिस बैरिकेड्स तोड़ते हुए बंगलादेश उच्चायोग की ओर बढ़ ने लगे, तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और चाणक्य पुरी थाने ले गयी। करीब आधे घंटे बाद सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस मौके पर सचदेवा ने कहा कि भारत और बंगलादेश दोनों के ही राष्ट्रगान रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं।

- **बांग्लादेश में टैगोर के पैतृक आवास पर की गई तोड़फोड़ के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया, भाजपा नेताओं ने कहा, बांग्ला संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं है।**

इज़रायल का "आयरन डोम" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत लंबे समय से इज़राइली रक्षा तकनीक को मजबूत, युद्ध-परीक्षित और रणनीतिक रूप से विश्वसनीय मानता आया है। यह छवि अब भी काफी हद तक बरकरार है, लेकिन यह घटना स्पष्ट करती है कि कोई भी प्रणाली अचूक नहीं होती। किसी भी एक डिफेंस लेयर, चाहे वह इज़राइली हो, अमेरिकी हो, रूसी हो या स्वदेशी हो, पर अत्यधिक निर्भरता खतरनाक हो सकती है। भारत को इज़राइली मिसाइल रक्षा के अधिग्रहण को अब एक वास्तविक बहु-स्तरीय और अनुकूलनशील रक्षा ढांचे के निर्माण की आवश्यकता के साथ संतुलित करना होगा।

यह घटना स्वदेशी अनुसंधान और विकास (जैसे डीआरडीओ की आकाश और क्यूआरएसएम प्रणालियाँ) की महत्ता और आयातित व स्वदेशी प्लेटफार्मों के बीच तालमेल की जरूरत को भी रेखांकित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत की अपनी कमजोरियों को भी उजागर करती है, विशेषकर इसके वायु सैन्य अड्डों, शहरी केन्द्रों और पश्चिमी व उत्तरी सीमाओं पर स्थित रणनीतिक परिसंपत्तियों पर सैचुरेशन हमलों के प्रति।

भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकी-आधारित प्रतिरोध क्षमताओं में भी निवेश करना होगा, जैसे उच्च-ऊर्जा लेज़र, ड्रोन स्वार्म, एआई, संचालित हवाई क्षेत्र प्रबंधन, और इलैक्ट्रो मैगनैटिक युद्ध प्रणाली, जो पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों की तुलना में अधिक तेज़ी से खतरों का जवाब दे सकती हैं।

इज़राइल-ईरान संघर्ष अब एक बेहद खतरनाक और अभूतपूर्व चरण में प्रवेश कर चुका है, जहाँ सीधे सैन्य हमले और लक्षित हत्याएँ सामने आ रही हैं, और यह इस क्षेत्र, और संभवत: विश्व, को एक बड़े संघर्ष की ओर ले जा सकता है।

13 जून 2025 को, इज़राइल ने "ऑपरेशन राइज़िंग लायन" लॉन्च किया, यह एक व्यापक हवाई हमला था, जिसमें ईरान के भीतर 100 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें नतांज जैसे परमाणु संवर्धन केन्द्र, भूमिगत सैन्य परिसर, और प्रमुख कमांड सैंटर शामिल थे। यह हमला केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी था। इस हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए, जैसे आईआरजीसी कमांडर होसैन सलामी, सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, वरिष्ठ रणनीतिकार गोलाम अली राशिद, और कई परमाणु वैज्ञानिक। ईरान ने इस हमले को राष्ट्रीय नायकों की सामूहिक हत्या बताया और कम से कम 78 लोगों की मौत तथा 320 से अधिक के घायल होने की पुष्टि की।

इसके जवाब में, ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से समन्वित हमला किया, जिसमें, कुछ रिपोर्टों के अनुसार, 100 से 200 प्रक्षेपास्त्र शामिल थे। इनके लक्ष्य थे, तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों का केंद्र और प्रमुख रक्षा प्रतिष्ठान। यह जवाबी हमला इज़राइल की प्रसिद्ध आयरन डोम प्रणाली में एक बड़ी सेंध था। कई मिसाइलें इंटरसेप्ट से बच निकलीं और सीधे शहरी व सैन्य ठिकानों को भेद गईं, जिनमें किरिया कंपाउंड (जो इज़राइल का पेंटागन कहा जाता है) भी शामिल है।

इसका मनोवैज्ञानिक असर तात्कालिक था। इज़राइली शहरों में सायरन गूंज उठे, नागरिक बंकरों में भागे, और आयरन डोम की अजेयता का भ्रम चकनाचूर हो गया।

ट्रंप, इज़रायल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अराग़ची ने भी, अपने एक कथन से इन राजनीतिक प्रयासों की पुष्टि की, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान अब भी परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है, यह ट्रंप के उस बयान का संभावित जवाब है जिसमें उन्होंने ईरान से परमाणु वार्ता की मेज पर लौटने को कहा था।

अराग़ची ने तेहरान में विदेशी डिप्लोमैट्स से कहा, "हम किसी भी ऐसे समझौते के लिए तैयार हैं जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हो कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए।"

1,500 कश्मीरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होगी, बल्कि यह भी साबित करेगी कि वह अपने नागरिकों, विशेष रूप से कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों, की सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता देता है।

सहायता के लिए, ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास की 24X7 आपातकालीन हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते है, या, विदेशों में भारतीय नागरिकों के लिए आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से, अपनी स्थिति और संपर्क विवरण पंजीकृत कर सकते हैं।

'बार-बार निरुत्साहित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए उन्होंने उनके मुवक्किल को अंतरिम जमानत देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसी तरह की याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा खारिज की जा चुकी है। जस्टिस मेहता ने कहा, "हम इस याचिका के पीछे की रणनीति तथा दलीलों से कतई प्रभावित नहीं हैं। आपकी एसएलपी इस कोर्ट के तीन जजों की बैंच द्वारा पहले ही खारिज की जा चुकी है और अब आप अवकाश के दौरान एक बार खारिज किये जा चुके मामले में उसी राहत को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं।" जब कोर्ट ने आदेश लिखवाना शुरू किया, तब रोहतगी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और याचिका वापस ले ली गई।

आरएएस मुख्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की जा रही थी, पर परीक्षा स्थगित नहीं होने पर, अंतिम समय पर याचिका दायर की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि भारत-पाक के बीच टकराव के दौरान बॉर्डर एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित रही, लाइब्रेरी आदि को भी बंद कर दिया गया, जिससे अभ्यर्थी भी प्रभावित हुए। वहीं, एक्स सर्विसमैन कोटे में आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों को पुन: ड्यूटी पर बुलाया गया था। इस लिए उन्हें भी अध्ययन का मौका नहीं मिला। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी पूर्व में भी कई बार मुख्य परीक्षा को स्थगित कर चुकी है। एक भर्ती में तो मुख्य परीक्षा की तिथि से दो दिन पूर्व ही भर्ती स्थगित की गई थी। ऐसे में अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए, मंगलवार से होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए। वहीं, दूसरी ओर अदालत ने आरएएस भर्ती-2023 के साक्षात्कार में याचिकाकर्ता सुरेश मीणा को शामिल करने को कहा है।

सोनिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसी प्रकार आईजीएमजी के डिप्टी मैडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. अमन चौहान ने भी आश्वस्त करते हुए कहा, "उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं थी। केवल सामान्य जाँचें की गईं तथा किसी विशेष जाँच या इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ी।" हाल ही में, सोनिया गांधी के प्राय: अस्पताल जाने की खबरें देश भर में सुर्खियों में रही हैं, क्योंकि वे दशकों से भारतीय राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रही हैं। हालांकि चिंता की कुछ खबरें सामने आईं, लेकिन दिल्ली और शिमला दोनों जगह से मिले चिकित्सकीय अपडेट यह दर्शाते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600